न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 143/2024 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2024/163

1. सन्देश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई साकिन चक 1 वाई. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नाबालिग अंक्षित विश्नोई पुत्र श्री सत्यदेव उर्फ सतदेव संरक्षक कुदरतीवली माता रानी पत्नि सत्यदेव उर्फ सतदेव पुत्र जाति बिश्नोई साकिन 1 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक व अभिभाषक अपीलांट
संगीता गहलोत
श्री सुरेश मोहता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.11.2024 (06.11.2024) के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 2 वाई के खाता संख्या 27/28 का मुरब्बा नंबर 54, 55, 58, 59 में कुल 7.7160 हैक्टयर नहरी भूमि में से 0.633 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंक्षित बिश्नोई के रिकॉर्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंखित बिश्नाई नाबालिग है। उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंक्षित बिश्नोई ने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के द्वारा अपीलांट को हस्तान्तरित की। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने उक्त रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के आधार पर इंतकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार श्रीगंगानगर के इंतकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के इंतकाल संख्या 378 आदेश दिनांक 29.05.2018 को निरस्त कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.10.2024 की पालना में तहसीलदार श्री गंगानगर ने दिनांक 08.11.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग अक्षित बिश्नोई नाम इंतकाल दर्ज कर दिया। तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 8.11.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंक्षित के कुदरतीवली माता राजरानी से वादगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपीलांट से प्राप्त की है। उक्त रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के आधार पर उक्त वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 को अपीलांट के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट का उक्त वादगत भूमि पर क़ब्जा काश्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंक्षित के कुदरतीवली माता राजरानी व पिता सत्यदेव उर्फ सतदेव है तथा वे जिन्दा है। इसके बावजूद बेईमानी करके रेस्पोडेट संख्या 1 अंक्षित की एकमात्र बहन अंजली जो उन्ही के साथ रहती है, के द्वारा बिना सिविल कोर्ट के द्वारा सैक्शन 7 गार्जियन एक्ट के तहत पत्र लिये बिना ही अवैध रूप से नाबालिक अंक्षित की कुदरतीवली बनकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष इंतकाल संख्या 378 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में अपील चलने योग्य ही नही थी क्योंकि अंजली को कुदरतीवली बनकर अपील पेश करने का अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट एवं उसके परिवार को हस्तान्तरण के समय से ही हस्तान्तरण एवं इंतकाल की जानकारी थी। इस कारण प्रथम अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी चाहिए थी। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 1999 पेज 98 एवं प्रस्तुत है। मूल रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है तो उसके आधार पर दर्ज इंतकाल निरस्त नही किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 2008 पेज 755 प्रस्तुत है। अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.10.2024 को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम विरूद्ध व अवैध रूप से अपीलांट का इंतकाल निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील पेश कर दी है। तहसीलदार श्रीगंगानगर व हल्का पटवारी से साज बाज करके रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के निरस्त हुए बिना ही पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अवैध रूप से इंतकाल दर्ज कर दिया गया। वादगत भूमि के संबंध में उपहार पत्र आज तक निरस्त नही हुआ है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में नियम विरूद्ध दर्ज किया गया हैं। जो निरस्त योग्य है। अतः अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पुनः दर्ज इंतकाल का निरस्त किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील बहस में कथन किया कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग होने की वजह से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता एवं पिता का कोई अधिकार नही है। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग है तब तक उसके नाम की सम्पत्ति आगे बेचान करने के लिए जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर से स्वीकृति लेने के बाद ही रकब मुन्तकिल व उपहार पत्र कर सकता है। उक्त वादगत भूमि के संबंध में उपहार पत्र शुरू से ही शून्य हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के माता एवं पिता द्वारा तमाम तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का फर्जी उपहार पत्र अपीलांट के नाम लिख दिया। हिन्दु विधि अनुसार कोई भी नाबालिग की सम्पति उपहार करके तथा बेचान करने के लिए जिलाधीश न्यायालय की अनुमति लेकर ही बेचान किया जा सकता है। बिना अनुमति के बेचान नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि जिलाधीश द्वारा अनुमति दी जाती हैं उसमें भी यह शर्ते लगाई जाती हैं कि जितनी भूमि नाबालिग की बेचान की जावेगी उतने रूपयों की भूमि उस नाबलिग के नाम दर्ज करवानी पड़गी। उसके बाद ही बेचान किया जा सकता है। अपीलांट ने तमाम तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 29.05.2018 को इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि नाबालिग व्यक्ति की जगीन का इंतकाल कानूनन नहीं हो सकता है। उक्त वादगत भूमि की उपहार डीड दिनांक 21.05.2018 को की गई और उक्त उपहार डीड के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर ने दिनांक 29.05.2018 को इंतकाल दर्ज कर दिया गया जबकि 45 दिन तक इंतकाल स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपीलांट के पक्ष में दर्ज इंतकाल निरस्त कर दिया गया। उक्त अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.10.2024 की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अक्षित बिश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जो नियमानुसार उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.11.2024 को यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन इंतकाल अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2024 पारित करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा गिफ्ट डीड के आधार पर अपीलांट के पक्ष में दर्ज इंतकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.10.2024 की पालना में तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 08.11.2018 पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग अक्षित बिश्नोई के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया। तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.11.2024 के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में की गई अपील के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के मूल आदेश दिनांक 30.10.2024 को निरस्त कर दिया गया हैं जिसकी पालना में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) मूल आदेश दिनांक 30.11.2024 ही निरस्त हो जाने पर उक्त मूल आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल आदेश दिनांक 08.11.2024 के विरूद्ध की गई अपील सारहीन(Infructuous) हो जाती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन (Infructuous) हो जाने पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर